

[29/12/2020]
आय 855
परीक्ष-अ.

प्रश्न सं. [क. 855]

कार्यालय कलेक्टर, जिला बड़वानी (म.प्र.)

क्रमांक / 1300 /रीडर/2020
प्रति,

बड़वानी, दिनांक 02/3/2020

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
राजपुर

विषय :- व्यपवर्तन प्रकरणों में पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने बबत।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/रीडर-1/2019/5306 राजपुर दिनांक 13-12-2019

- 0 -

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके अंतर्गत निम्न प्रकरणों में पुनर्विलोकन हेतु अनुमति चाही गई है।

अ.क्र.	प्रकरण क्रमांक	भूमि का ग्राम	आवेदक का नाम	प्रयोजन
1	44/अ-2/2016-17	ओझर	संत सिंगाजी शिक्षा समिति ओझर तर्फे अध्यक्ष विनय सोनी	शैक्षणिक प्रयोजन
2	29/अ-2/2016-17	अंजड़	आजम पिता अयुब अंजड़	व्यावसायिक प्रयोजन
3	41/अ-2/2015-16	बड़सलाय	शंकरलाल पिता रामलाल खुरमपुरा	व्यावसायिक प्रयोजन
4	39/अ-2/2015-16	राजपुर	गोविन्द पिता शोभाराम राजपुर	आवासीय प्रयोजन
5	21/अ-2/2014-15	राजपुर	राजाराम पिता बाबुलाल बगैरा निवासी राजपुर	आवासीय प्रयोजन
6	65/अ-2/2016-17	राजपुर	संजय पिता कोटिया जी पाटीदार राजपुर	आवासीय प्रयोजन

2/ उपरोक्त प्रकरणों का परीक्षण के दौरान म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 21-27/2019/सात-7 भोपाल, दिनांक 03-02-2020 द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है जिसमें यह उल्लिखित किया है कि लंबित उक्त 06 प्रकरणों में धारा 172(6)(6) अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही में कोई बाधा नहीं है। अतः म.प्र. शासन राजस्व विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त 06 प्रकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3/ आपके पत्र क्रमांक/रीडर-1/2020/833 दिनांक 24-02-2020 के संदर्भ में प्रकरण क्रमांक 44/अ-2/2016-17 (संत सिंगाजी शिक्षा समिति ओझर तर्फे अध्यक्ष विनय सोनी विरुद्ध म.प्र. शासन) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी के न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 02-03-2020 हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1302/रीडर/2020 दिनांक 02-03-2020 द्वारा प्रेषित किया गया है, छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार कुल 06 प्रकरण एवं छायाप्रति

पृ.क्रमांक/ (130) /रीडर/2020
प्रतिलिपि :-

कलेक्टर,
जिला बड़वानी (म.प्र.)
बड़वानी, दिनांक 02/03/2020

- 1- अपर कलेक्टर, जिला बड़वानी की ओर सूचनार्थ।
- 2- अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 517/भू-अभि./2020 दिनांक 24-02-2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

सुभाष
5.2.3-20

कलेक्टर,
जिला बड़वानी (म.प्र.)

de